	# कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज (हैरिटेज मुख्यालय भवन बडी चौपड़ हवामहल के पीछे जयपुर–01)
क्रमांक	एफ–6 ( ) उपा.का./ननिज/2021/ 06 दिनांकः– 9/4/21

उपायुक्त,
सिविल लाईन जोन,
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

विषयः– एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 6433/2002 उनवान प्रकाश चन्द स्वामी बनाम स्टेट आफ राजस्थान।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निगम की और से जवाब प्रस्तुत नही करने पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सही मानते हुए निगम की निर्माणकार्य ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अवैध एवं नियमों से परे (Beyond the rules) मानते हुए मुआवजा राशि रू0 10 लाख एक माह में भुगतान करने के निर्देश आदेश दिनांक 02.05.2019 द्वारा प्रदान किये गये है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि निगम द्वारा सम्बन्धित दोषी अधिकारी से उपरोक्त राशि वसूल की जावेगी एवं याचिकाकर्ता के निर्माण के ध्वस्तीकरण में सम्मलित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए भी निगम स्वतंत्र होगा। आदेश में वर्णित कृत्य किये जाने के समय कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी जोन कार्यालय में नियुक्त थे। इसकी सूची भिजवाने का श्रम करे।

09/04/21

(अनिता मित्तल)
उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम हैरिटेज, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. **निजी सचिव, श्रीमान् आयुक्त, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।**
2. **उप विधि परामर्शी, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।**
3. **गार्ड फाईल।**

Sd

(अनिता मित्तल)
उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम हैरिटेज, जयपुर

D:\karmik 2021\karmik letter.docx